सत्यमेव जयते
National Commission for Protection of Child Rights
Government of India
NCPCR

बाल आयोग की दखल से स्कूल के पास की शराब दुकान हटी

दिनांक 13.02.2017
नई दिल्ली

राष्ट्रीय बाल आयोग एक बार फिर बच्चों के अधिकारों के हित की रक्षा करने में सहायक साबित हुआ है. आयोग की कठोर चेतावनी और हस्तक्षेप से भिंड के एक कन्या उच्च विद्यालय के बगल से शराब की दुकान हटाई गयी है.

मामला जिला भिंड के एक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है. राष्ट्रीय बाल आयोग को भिंड के एक स्थानीय निवासी द्वारा 24.11. 2016 को सूचना मिली कि उक्त कन्या विद्यालय के समीप ही एक शराब की दुकान संचालित हो रही है जिसके कारण छात्राओं व शिक्षकों को काफी कठिनायों का सामना करना पड़ रहा है.

आयोग ने इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए सहायक जिला आबकारी अधिकारी, भिंड को मामले की सूचना देते हुए शराब की दुकान पर कोई कार्रवाई न होने पर आपत्ति जताई. साथ ही सहायक जिला आबकारी अधिकारी से इस प्रकरण की जानकारी और जांच रिपोर्ट आयोग से यथाशीघ्र प्रस्तुत करने को कहा.

तत्पश्चात सहायक सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री विनोद सल्लाम ने 16.01.2017 को आयोग के समक्ष इस प्रकरण में की गयी कार्रवाई एवं जांच आख्या प्रस्तुत किये. साथ ही यह भी सूचित किया गया कि शराब की दुकान को कन्या उच्च विद्यालय से हटाकर अन्य स्थान पर पर स्थान्तरित कर दिया गया है. शिकायतकर्ता द्वारा भी शराब की दुकान को हटाये जाने की पुष्टि की गयी है.

##